



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Help line No.-9928900900)

(E-mail:- rj-slsa.nic.in)

Website:- www.rlsa.gov.in)

क्रमांक:- 147

दिनांक :- 3/7/19

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर में तीन रिटेनर अधिवक्ता एवं जोधपुर में तीन रिटेनर अधिवक्ता की नियुक्ति इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 223 दिनांक 25.04.2019 द्वारा की गई थी।

इस कार्यालय के उक्त आदेश की पालना में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर के लिए नियुक्त निम्न अधिवक्तागण को निम्न समयावधि के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर परिसर में स्थित "न्याय रो सारथी" भवन में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित/पाबन्द किया जाता है:-

क्र. सं.	रिटेनर अधिवक्ता का नाम	एनरोलमेन्ट नम्बर	समयावधि
1	श्री दीपक सोनी	R/2469/2007	10:00 am to 12:00 pm
2	श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत	R/2346/2004	12:00 noon to 01:30 pm
3	श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत	R/2346/2004	02:00 pm to 02:30 pm
4	सुश्री शालिनी श्योरान	UP/1073/1998 (wef:24-8-96)	02:30 pm to Onwards



सचिव,


राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
जयपुर।

क्रमांक:- 571-577

दिनांक :- 3/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निदेशक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव-प्रथम, द्वितीय एवं एपीएण्डएडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. रिटेनर अधिवक्ता।
4. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।



सचिव,

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
जयपुर।